



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 17 फरवरी, 2014

माघ 28, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या-145/79-वि-14-2 (क)-5-2014

लखनऊ, 17 फरवरी, 2014

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2014) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2014

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2014)

(भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है,

अतएव, अब भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

राष्ट्रपति अधिनियम
संख्या 1 सन् 1996
की धारा 3 का
संशोधन

1- यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश
2014 कहा जायेगा।

2- उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 3 में उपधारा
(3) में-

(क) शब्द "सत्रह अन्य सदस्य" के स्थान पर शब्द "पच्चीस अन्य सदस्य" रख दिये
जायेंगे :

(ख) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-

"परन्तु यह कि अल्पसंख्यक समुदाय से कम से कम एक प्रतिनिधि आयोग में सदस्य
के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ शब्द "अल्पसंख्यक" का अर्थ वही होगा
जैसा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन्
1994 में परिभाषित है।"

बी० एल० जोशी

राज्यपाल
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

एस० बी० सिंह

प्रमुख सचिव